उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष ☎: 0522 2218422 E-mail: ds01@upptcl.org

संख्या: 91 –पारे0अनु0–02ए/पाट्राकालि–2024 दिनांक :06 अगस्त, 2024

अधिशासी अभियन्ता (वेब),
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2018 में निष्कासित तकनीशियन कार्मिकों के देयकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन सं0–4/वि0से0आ0/2014 के सापेक्ष चयनित 714 में से 692 तकनीशियन (टी0जी0–2) के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 1209/ वि0से0आ0/4–2014 दिनांक 13.05.2018 के द्वारा निष्कासित तकनीशियन कार्मिकों के देयकों के भुगतान से सम्बन्धित आदेशों एवं कारपोरेशन के पत्रांक 1427–पारे0अनु0–02/23 दिनांक 08.11.2023 व पत्रांक 830 पारे0अनु0–02/22 दिनांक 02.09.2022 को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

06.08.24

(राम सूरत)
उपसचिव (पारेषण–प्रथम

प्रतिलिपि :– निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः।527—पारे0अनु0—02/पाट्राकालि—2023 दिनांक :08नवम्बर, 2(

समस्त मुख्य अभियन्ता (पारे0 दक्षिण—पूर्व)/(पारे0 उत्तर—पूर्व)/
(पारे0 दक्षिण—मध्य)/(पारे0 दक्षिण—पश्चिम)/(पारे0प0)/(पारे0म0)/ (ई—मेल द्वारा)
(संचार एवं नियंत्रण) (ऊर्जा प्रणाली परिचालन),
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

विषयः— मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में वर्ष 2018 में निष्कासित तकनीशियन कार्मिकों के देयकों के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विज्ञापन सं0—4/वि0से0आ0/2014 के सापेक्ष चयनित 714 692 तकनीशियन (टी0जी0—2) के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0—41750/2015 में पारित आदेश दि 07.10.2017 के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग के पत्र सं0—1209/वि0से0आ0/4—2014 दिनांक 13.05.2018 के द्वारा निष्का उक्त तकनीशियन के समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्य अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ता अधिकारियों को कार्यालय के पत्रांक—830 दिनांक 02.09.2022 **(संलग्नक—1)**, पत्रांक—1148 दिनांक 27.09.2022 **(संलग्नक—2)**, पत्रांक—114 दि 03.02.2023 **(संलग्नक—3)** एवं पत्रांक—233 दिनांक 24.03.2023 **(संलग्नक—4)** द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

सातवे वेतन एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के आदेश सं0 999 दिनांक 01.09.2017 **(संलग्नक-5)** उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 3683—जी/र0वि0प0क-1 —23ए/1966 दिनांक 02.01.1984 **(संलग्नक—6)**, सी0पी0एफ0 के भुगतान के सम्बन्ध में उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा निर्गत कार्यालय आ सं0 831 दिनांक 07.07.2021 **(संलग्नक—7)** एवं सपठित आदेश सं0 395 दिनांक 23.02.2022 **(संलग्नक—8)** बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश के अनुरूपता में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3889—पारे0अनु0—14 पाट्राकालि—2018/09/18 दिनांक 25.10.2018 **(संलग्नक—9)** की प्रति संलग्न करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निष्कासित तकनीशियन कार्मिकों के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राम सूरत)
उप सचिव (पारेषण—प्रथम)
O/C

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक (का0 प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. अपर सचिव (पारेषण), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, विक्टोरिया, मेरठ।

08.11.23
(राम सूरत)
उप सचिव (पारेषण—प्रथम)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष ☎: 0522 2218422 E-mail: ds01@upptcl.org

संख्या: 030 –पारे0अनु0–02 / पाट्राकालि–2022 दिनांक: 02 सितम्बर, 2022

(ई–मेल द्वारा)

समस्त मुख्य अभियन्ता (पारे0 दक्षिण–पूर्व) / (पारे0 उत्तर–पूर्व) /
(पारे0 दक्षिण–मध्य) / (पारे0 दक्षिण–पश्चिम) / (पारे0प0) / (पारे0म0) /
(संचार एवं नियंत्रण) (ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी0एम0यू0टी0) /
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण–प्रथम / द्वितीय) / (परि0 एवं क्रय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में वर्ष 2018 में निष्कासित टी0जी0–II के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के आदेश सं0 674 दिनांक 11.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार विज्ञापन सं0 04 / विसेआ / 2014 के सापेक्ष चयनित 714 में 692 तकनीशियन कार्मिकों के निरस्तीकरण के आदेश दण्ड स्वरूप निर्गत नही किये गये है एवं निष्कासित कार्मिकों के C.P.F. खातों के अंतिमीकरण की कार्यवाही ट्रस्ट स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 831 दिनांक 07.07.2021 के बिन्दु सं0–2 एवं कार्यालय सं0 395 दिनांक 23.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,
02.09.22
(राम सूरत)
उप सचिव–प्रथम (पारेषण)

प्रतिलिपिः– कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (लेखा), (पारेषण पश्चिम), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, मेरठ को उनके पत्र सं0–673 दिनांक 27.07.2022 के संदर्भ में अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 999 –कार्मिनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /2017–5–कार्मिनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01 सितम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में पारित किये गये संकल्प एवं तत्क्रम में ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 05/2017/1713/24–पी–2–17–सा0(144)/2017 दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को के कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्ते सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किए जाने एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियाँ तथा केस्को के पूर्णकालिक सेवा में था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक- 1) में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, परन्तु

कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतनवृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन/वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहां कार्मिक को दिनांक 01 जनवरी, 2016 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह कार्मिक ऐसी पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहां किसी कार्मिक के पद के ग्रेड–वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहां उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड–वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण–1 वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन/वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन/वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद कारपोरेशन सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी कार्मिक के लिये स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–3 जहाँ कहीं कोई कार्मिक मूल नियम–22 या किसी/अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का चयन

2\. (1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धा *(संलग्नक–2)* पर देना होगा। यह विकल्प संबंधित कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका रखता इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिये.

परन्तु

(i) ऐसे कार्मिक जो उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर हैं, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जायेगा कि वह भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन माह के अन्दर उक्त प्राधिकारी के पास पहुँच जाएं।

(ii) सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को यदि निलम्बन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अन्दर कर सकता है।

(2) सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप *(संलग्नक–3)* पर एक वचनबंध (Undertaking) के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी। कार्यालय प्रमुख/वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किये बिना सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबध को सम्बन्धित कर्मी की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध नही कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पणी–1 ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सेवायें दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपर्युक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों, जिनकी दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिये सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तिथि से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जिसके लिये उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है, पर थे, उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना

3\. किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियाँ" का आशय दिनांक 01 जनवरी, 2016 को आहरित मूल वेतन एवं उस पर देय महँगाई भत्ते के योग से है, अर्थात सम्बन्धित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/वित्तीय स्तरोन्नयन/उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय महँगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, परिलब्धियों में सम्मिलित माना जायगा।

1 जुलाई से 27 दिसम्बर तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार के अवकाश वेतन का आगणन करने से वर्ष के विभिन्न महीनों में दिनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण सेवा निवृत्ति के दिनांक को अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान की जाने वाली धनराशि में एकरूपता नहीं रहती है।

2. उक्त विसंगति को समाप्त करने हेतु परिषद ने राज्य शासन की अनुरूपता में सहर्ष यह निर्णय किया है कि अभी तक विद्यमान उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर अब सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्रानुसार किया जायेगा :—

नकद समतुल्य = (सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अनुमन्य वेतन एवं भत्ते / 30) × 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।

सेवा निवृत्ति के दिनांक को परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

संख्या : 3683-जी/र.वि.प.-का-1-230 ए/1966

दिनांक : फरवरी 1, 1984

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4065-जी/रा.वि.प.-एक-230 ए/66, दिनांक 23 जून, 1978 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापांक 317-जी/रा.वि.प.-एक-230ए/66, दिनांक 19 फरवरी, 1979 द्वारा परिषदीय सेवकों को सेवा निवृत्ति के दिनांक को शेष अर्जित अवकाश के बदले नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के बराबर नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल अधिवर्षता (Superannuation) पर सेवा निवृत्त होने वाले परिषदीय सेवकों को ही ग्राह्य (admissible) है। सेवारत परिषदीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि की नकद भुगतान की सुविधा परिषदीय कार्यालय ज्ञापांक 2381-जी/रा.वि.प.-एक-230 ए/1966, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 के अन्तर्गत अनुमन्य की गई है। अब परिषद ने सम्यक प्रकार विचारोपरान्त सहर्ष यह आदेश किये हैं कि उपरोक्त सुविधा निम्नांकित मामलों में भी उपलब्ध होगी :—

(क) ऐसे परिषदीय सेवक जो निलम्बित रहते हुये सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होते हैं और उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाही की समाप्ति

पर उन्हें सेवा में बहाल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि उनका निलम्बन सर्वथा अनुचित था।

(ख) यदि किसी परिषदीय सेवक को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जाता है अथवा कोई परिषदीय सेवक स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ग्रहण करता है तो उसे एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये सेवा-निवृत्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा "अर्जित अवकाश" तथा उसी दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा सम्पूर्ण निजी कार्य पर अवकाश के लिये अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि "अर्जित अवकाश" तथा/अथवा "निजी कार्य पर अवकाश" की कुल अवधि अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किए जाने अथवा स्वेच्छया सेवा निवृत्ति ग्रहण करने के दिनांक तथा उस दिनांक के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सामान्य रूप से अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हुआ होता। "अर्जित अवकाश" तथा/अथवा "निजी कार्य पर अवकाश" के लिये आगे पद (ङ) के अनुसार अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ता तो अनुमन्य होगा, परन्तु पेंशन, अन्य नैवृत्तिक लाभों के पेंशन समतुल्य राशि तथा पेंशन पर अनुमन्य राहत की धनराशि को "निजी कार्य पर अवकाश" की उस अवधि के सम्बन्ध में देय अवकाश वेतन में से घटा दिया जायेगा जिसके लिये नकद धनराशि का भुगतान देय है। यदि "निजी कार्य पर अवकाश की अवधि के बदले देय अवकाश-वेतन पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों के बराबर है या कम पड़ता है तो "निजी कार्य पर अवकाश के" लिये अवकाश वेतन का नकद भुगतान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ग) जब किसी परिषदीय सेवक की सेवायें नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त कर दी जाती है तो उसे एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा समाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा अनुमन्य होगी।

(घ) यदि कोई परिषदीय सेवक सेवा से त्यागपत्र अथवा सेवा छोड़ देता है तो उसे नब्बे दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सेवा समाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा कुल अर्जित अवकाश की आधी सीमा तक बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ङ) यदि किसी सेवक को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्योजित (Re-employ)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Website- www.uppst.org

Email id: [illegible]

पत्र सं० [illegible] /बा/अंशदायी ट्रस्ट/म0वि0वि0नि0लि0/विकेन्द्रीकरण

दिनांक:– 11-05-2022

निदेशक (वित्त)
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0
कानपुर।

विषय:– <u>मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा कार्मिकों का चयन निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके सी0पी0एफ0 खातों के अंतिमिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 (छायाप्रति संलग्न) एवं तदुपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप हेतु निर्गत स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या–395/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 23.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम–49 "Deductions" के बिन्दु सं0–(a) (i) एवं (a) (ii) में प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष 05 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व त्यागपत्र/सेवा निरस्त इत्यादि की स्थिति में अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के अन्तिम भुगतान प्रकरणों में नियोक्तांश एवं उस पर अर्जित ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा पत्रांक–548/अनु0–7/मु0अ0 (हा0) /2018 दिनांक 26.05.2018 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–41750/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2017 के अनुपालन में विज्ञापन सं0–4/विसेआ/2014 के सापेक्ष चयनित 714 में से 692 टी0जी0–2 का चयन विद्युत सेवा आयोग द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने के आदेश पारित किये गये थे।

उक्त टी0जी0–2 कार्मिकों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके नियुक्ति निरस्तीकरण के आदेश दण्डस्वरूप निर्गत नहीं किये गये हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में निर्णय पारित किये जाने के फलस्वरूप यदि कार्मिकों का चयन निरस्त किया जाता है, तो उसे दण्डस्वरूप निष्कासन नहीं माना जायेगा।

अतएव उपरोक्तानुसार निष्कासित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खातों के अंतिमीकरण की कार्यवाही ट्रस्ट स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के बिन्दु सं0–2 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–395/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 23.03.2022 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),
उ0प्र0पा0का0लि0 एवं ट्रस्टी

पत्र सं0 /69/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/म0वि0वि0नि0लि0/विकेन्द्रीकरण/तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम।
9. लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ — 226001

website-www.uppst.org

E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

पत्र संख्या /14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक: 7/7/2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की दिनांक–30.06.2021 को सम्पन्न आठवीं० बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004, जो कि केन्द्रीय अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 1962 के आधार पर तैयार की गयी है, के नियम–48.C "Deductions" के बिन्दु सं० (a)(i) एवं (a)(ii) में प्राविधानित व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

1. यदि किसी कार्मिक को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व उ०प्र०पा०का०लि०/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/ समस्त डिस्कॉम द्वारा दण्डस्वरूप विभाग से निष्कासित अथवा पदच्युत किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में कार्मिक के सी०पी०एफ० खाते के अन्तिम अवशेष मे से नियोक्ता अंशदान + उस पर अर्जित ब्याज की कटौती कर शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा अर्थात् केवल कार्मिक के अंशदान पर ब्याज देय होगा।
2. बिन्दु सं०–1 पर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य परिस्थिति यथा–सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र आदि की स्थिति में कार्मिक के सी०पी०एफ० खाते के अन्तिम अवशेष का पूर्ण रूप से (कार्मिक अंशदान +नियोक्ता अंशदान+अर्जित ब्याज) भुगतान किया जायेगा।
3. उक्त परिस्थितियों मे सी०पी०एफ० खाते का अन्तिम भुगतान कार्मिक/दावेदार अथवा किसी अन्य विभाग में अन्तरण किये जाने की स्थिति मे ब्याज की देयता उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम–34 "Interest" में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार होगी।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी एवं आदेश निर्गमन से पूर्व के प्रकरण पुनर्विचारित नहीं किये जायेंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की आज्ञा से

श्रीमती सौम्या
Secy (Trust)

संख्या– 1 /14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01/तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
6. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
7. निदेशक (का० एवं प्रशा०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०/केस्को, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Website- www.uppst.org

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

पत्र सं० /14/अं०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01

दिनांक:–

कार्यालय ज्ञाप

ट्रस्ट कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के तारतम्य में **"आदेश निर्गमन से पूर्व के प्रकरण पुनर्उदघाटित नहीं किये जायेंगे"** हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दिनांक 30.06.2021 को सम्पन्न आठवीं बैठक के एजेन्डा आईटम सं0–07 के सापेक्ष लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के तारतम्य में यह आदेशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों द्वारा पाँच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व दिनांक 06.07.2021 तक त्यागपत्र दिया जा चुका है एवं उनके सी0पी0एफ0 खाते का अंतिमीकरण करते हुए स्वीकार पत्र दिनांक 07.07.2021 अथवा उसके पश्चात निर्गत किया गया है, ऐसे कार्मिकों पर उक्त कार्यालय ज्ञाप का बिन्दु सं0–2 लागू होगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष (ट्रस्ट)

पत्र सं० 395 /14/अं०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01/तद्दिनांक:– 23/03/2022

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
8. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वि
निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
11. समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/पूर्वांचल/मध्
/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
12. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लख
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत
निगम लि0।
14. उपसचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियंता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
17. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी, पारेषण (मध्य)/पारेषण (उत्तर–पूर्व)/पारेषण (दक्षिण–पूर्व)/पारेषण(पश्चिम)/पारेषण (दक्षिण–मध्य)/(दक्षिण–पश्चिम), लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/ आगरा।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Website- www.uppst.org

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

दिनांक:–

पत्र सं० /14/अं०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01

कार्यालय ज्ञाप

उक्त कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के सन्दर्भ में "आदेश निर्गमन से पूर्व के प्रकरण पुनर्उदघाटित नहीं किये जायेंगे" हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दिनांक 30.06.2021 को सम्पन्न आठवीं बैठक के एजेन्डा आईटम सं0–07 के सापेक्ष लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के तारतम्य में यह आदेशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों द्वारा पाँच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व दिनांक 06.07.2021 तक त्यागपत्र दिया जा चुका है एवं उनके सी0पी0एफ0 खाते का अंतिमीकरण करते हुए स्वीकृति पत्र दिनांक 07.07.2021 अथवा उसके पश्चात निर्गत किया गया है, ऐसे कार्मिकों पर उक्त कार्यालय ज्ञाप का बिन्दु सं0–2 लागू होगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष (ट्रस्ट)

पत्र सं० 395 /14/अं०भ०नि० ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01/तद्दिनांक:– 23/03/2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
8. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितर निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
11. समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/पूर्वांचल/मध्यां /दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
12. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनउ
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वि निगम लि0।
14. उपसचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियंता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
17. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी, पारेषण (मध्य)/पारेषण (उत्तर–पूर्व)/पारेषण (दक्षिण–पूर्व)/पारेषण(पश्चिम)/पारेषण (दक्षिण–मध्य)/ (दक्षिण–पश्चिम), लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/ आगरा।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिश रेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार व
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 3889–पारे0अनु0–16 / पाट्राकालि–2018 / 09 / 18 दिनांक: 25 अक्टूबर, 2018

समस्त मुख्य अभियन्ता,
पारेषण / जानपद,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषय :– वर्ष 2016–17 हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ने लेखा वर्ष 2016–17 के लिए अपने पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की है:–

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेबल–8 (रू0 47600–151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में, जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 5400 से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त उच्च वेतन मैट्रिक्स, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।

2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होनें 31 मार्च 2017 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31.03.2017 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जायेगी।

4. दिनांक 31.03.2017 को वास्तविक औसत परिलब्धियां रू0 7000/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000 की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31.03.2017 को 30 दिन की परिलब्धियां (7000×30/30.4=6907.89) अर्थात रू0 6908/–तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।

5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2016–17 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय न होगी।

6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी परिस्थिति में पुनर्विचार नही किया जायेगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक्र रुपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसा या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

क्रमशः 2/–

8. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होनें दिनांक 31.03.2017 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिद समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होनें 31.03.2017 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नही की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभागी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200×30 / 30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200 / – प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी बास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते / सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते / सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नही है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31.03.2018 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

10. वर्ष 2016–17 हेतु पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय–व्ययक 2018–19 के नामे डाला जायेगा।

11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर ऑफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नही होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2016–17 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा। कृपया उक्त निर्णय अनुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 3889–पारे0अनु0–16 / पाट्राकालि–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) / (निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. वेबसाइट / कट फाइल।

आज्ञा से,

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारेषण)